एक नजर में

श्रीमती लक्ष्मी बाई पुष्पद का निधन, अंत्येष्टि आज

सारंगपुर 24 नवंबर, सं. नगर

के भेरू दरवाजा वार्ड क्र. 10 निवासी गंगाराम पुष्पद मुंशी की धर्मपत्नी एवं अधिवक्ता भेरू लाल पुष्पद, बाबूलाल पुष्पद वा संतोष पुष्पद की माता जी श्रीमती लक्ष्मी बाई पुष्पद का सोमवार को अस्वस्थता के चलते 82 वर्ष की आयु में दु:खद निधन हो गया. वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी. सोमवार दोपहर में उन्होंने अंतिम सांस ली. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुष्पद धार्मिक सामाजिक कार्य में रूचि रखती थी. आज मंगलवार सुबह 10 बजे मोहल्ला भेरू दरवाजा से मुक्तिधाम तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी.

26 वर्षीय युवक का हृदयघात से निधन

छापीहेड़ा 24 नवंबर, सं. अत्यंत

समीपवर्ती ग्राम खाताखेड़ी निवासी और नगर में स्वास्थ्य व्यवसाय में पिछले काफी समय से संलग्न 26 वर्षीय दिनेश पाटीदार का शनिवार और रविवार की दरमियानी रात्रि दुखद निधन हो गया. रोज की तरह वह रात्रि मेडिकल की दुकान बंद कर 2 किलोमीटर दूर अपने ग्राम खताखेड़ी पहुचे. रात्रि 3 बजे के लगभग उनको सीने में दर्द उठा. उनको तुरन्त स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर किया गया. लेकिन कुछ ही दूरी पर उनके प्राण पखेरू उड़ गए. सुबह उनकी इस दुखद खबर से समूचे नगर में स्तब्धतामय शोक व्याप्त हो गया. उनका दाह संस्कार पैतृक ग्राम खाताखेड़ी में किया गया. जिसमें नगर छापीहेड़ा सहित ग्रामीण क्षेत्रो के सभी वर्गों बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने सजल नयनो से श्रधांजलि अर्पित की.

56 वर्ष की आयु में श्रीमती कुसुम देवी शर्मा का निधन

पचोर 24 नवंबर, सं. कमला

प्रसाद शर्मा शिक्षक की धर्मपत्नी, श्रीमती कुसुम देवी शर्मा का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया. श्रीमती कुसुम देवी शर्मा छोटेलाल शर्मा कंडक्टर, मोहनलाल शर्मा, राधेश्याम शर्मा पुजारी बड़ा शिवालय की भाभी, देवीशरण शर्मा शिक्षक, रिंकू शर्मा मंडी व्यापारी, सिंकू शर्मा की माताजी एवं नगर परिषद के लेखपाल दुर्गेश शर्मा की तायजी थी. स्थानीय मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में गण मान्य नागरिको जनप्रतिनिधियों व्यापारियों ने अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की. मुखाग्नि उनके पुत्र देवी शरण रिंकू सिंकु ने दी.

प्रतिष्ठानों में रोजगार के लिए साक्षात्कार 28 को

राजगढ़ 24 नवम्बर, का. जिला रोजगार अधिकारी एमव्ही संतोष कुमार द्वारा बताया गया कि रोजगार संचालनालय म.प्र. शासन अन्तर्गत जिला रोजगार कार्यालय राजगढ़ द्वारा पुणे के अशासकीय प्रतिष्ठानों में किसी भी व्यवसाय में उत्तीर्ण आईटीआई अभ्यर्थियों के लिए तत्काल आवश्यकता है. 28 नवम्बर, 2025 को शासकीय आईटीआई राजगढ़ संकट मोचन में 11 बजे से 03 बजे तक उपस्थित होकर विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार के लिए साक्षात्कार में शमिल हो सकते हैं.

देश के पहले 'रेल कवच' का हिस्सा बनेगा ब्यावरा

पश्चिम मध्य रेल्वे ने देश में सबसे पहले लांच किया 'कवच 4.0' ब्यावरा, पचोर, सारंगपुर, पड़ाना और सिंदूरिया स्टेशन होंगे शामिल

पश्चिम मध्य रेल्वे की डीआरएम शोभना बंधोपाध्याय ने बैठक के दौरान दी जानकारी

पश्चिम मध्य रेल्वे जोन के 19 स्टेशनों पर लगेगा अभेद्य सुरक्षा कवच

महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय ने बताया श्रेक अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतगडत पश्चिम मध्य रेल के 53 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जिनमें कोटा एवं न्यू कोटा सहित कोटा मंडल के 19 स्टेशन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम मध्य रेल के कोटा-मथुरा एवं कोटा-नागदा खंड पर कु ल 549 किलोमीटर में स्वदेशी ''कवच 4.0'' प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है, जिससे सुरक्षित एवं कुशल रेल संचालन को नई दिशा मिली है. इसमें जिले को भी शामिल किया गया है और यहां ब्यावरा स्टेशन जो कि कोटा डिविजन में आता है उसे शामिल किया गया है.

रेल सुरक्षा के लिए मील का पत्थर

कवच योजना रेल्वे की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली योजना है. यह स्वदेशी तकनीक है और दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क ने बनाई है. पश्चिम मध्य रेल्वे क्योंकि काफी बड़ा जोन है इसलिए यहां से इसे शुरू किया जा रहा है. अभी यह 19 स्टेशनों पर होगा और इसके बाद सभी 53 स्टेशनों पर करने की हमारी कोशिश रहेगा.

शोभना बंधोपाध्याय, डीआरएम पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर *जैसा की बैठक में बताया*

नवभारत न्यूज

ब्यावरा 24 जनवरी, का. रेल्वे मंत्रालय में बढ़ती ट्रैन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. अब यात्रियों को अनपेक्षित हादसों से बचाने के लिए 'कवच' बनाया गया है. इस कवच का सबसे पहला प्रयोग पश्चिम मध्य रेल्वे करने जा रहा है. ऐसे में ब्यावरा देश के पहले रेल रक्षा कवच 4.0 का हिस्सा बनने जा रहा है. बढ़ती रेल सुविधाओं के बीच ब्यावरा को इसमें शामिल किया जाना हर्ष का विषय है.

इसकी औपचारिक घोषणा बीते दिनों पश्चिम मध्य रेल्वे की डीआरए श्रीमती शोभना बंधोपाध्याय ने बैठक के दौरान की. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर पश्चिम मध्य रेल्वे के अधिकारियों के साथ बात की. एक प्रजेंटेशन के तौर पर यह कवच रेल्वे को आधुनिक टैक्नॉलॉजी से जोड़ने जा रहा है. इस कवच से जिले के ब्यावरा स्टेशन जो कि जंक्शन बनने जा रहा है उसे जोड़ना बड़ी बात है.

जानिए क्या है 'कवच 4.0' और कैसे करेगा रक्षा

'कवच 4.0' एक स्वदेशी और विश्वस्तरीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विकसित किया है. यह प्रणाली ट्रेनों की गति की निगरानी और नियंत्रण करती है, और आपात स्थिति में स्वत: ब्रेक लगाती है. 4 नंबर सुरक्षा का उच्चतम मानक होता है इसलिए इसे कवच 4.0 नाम दिया गया है. इसमें सभी 19 स्टेशनों पर डबल लाईन होगी और सुरक्षा मानक बनाए जाएंगे.

कैसे काम करता है 'कवच 4.0'

यह एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो इंसानों द्वारा होने वाली गलती को कम करती है. यह ट्रेनों के टकराव को रोकने, गति को नियंत्रित करने और कम दृश्यता में भी सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है. इस प्रणाली में लोको कवच, स्टेशन कवच, और टेलीकॉम टावर जैसे घटक शामिल हैं, जो एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. लोको कवच ट्रैक पर लगे टैग से जानकारी प्राप्त करता है और इसे स्टेशन कवच और सिग्नलिंग प्रणाली को भेजता है. आपात स्थिति में, लोको पायलट के हस्तक्षेप के बिना, सिस्टम ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय करता है. कोहरे जैसी कम दृश्यता की स्थिति में, ट्रेन के डैशबोर्ड पर सारी जानकारी प्रदर्शित की जाती है, जो लोको पायलट को सिग्नलों को देखने में मदद करती है.

'कवच 4.0' का महत्व

यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत विकसित की गई है, जिससे आयातित प्रणालियों पर निर्भरता कम हुई है. इसे 160 किमी प्रति घंटे तक की गति के लिए अनुमोदित किया गया है और दिल्ली-मुंबई मार्ग के मथुरा-कोटा खंड पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है. भारतीय रेलवे देश भर में विभिन्न रेल मार्गों पर इस प्रणाली को लागू करने की योजना बना चुका है और सबसे पहले पश्चिम मध्य रेल्वे ने इसे लागू करने की शुरूआत कर दी है.

परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी पर ज़ोर

राजगढ़ 24 नवम्बर, का. मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शोभा पटेल ने पुरुषों को परिवार नियोजन में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि पुरूष नसबंदी पूरी तरह से सुरक्षित है, सोमवार को जिला अस्पताल में आयोजित 21 नवम्बर से 4 दिसंबर तक पुरूष नसबंदी पखवाड़े के अवसर पर उन्होंने सभी मैदानी कर्मचारियों को इस सुरक्षित प्रक्रिया से पुरुषों को जागरूक करने पर ज़ोर दिया. मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पटेल ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि परिवार की अधिकांश जिम्मेदारियां महिलाओं द्वारा निभाई जाती हैं, लेकिन जब परिवार को पूर्ण करने की बात आती है, तब भी नसबंदी ऑपरेशन के लिए महिलाओं को आगे कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि महिला नसबंदी ऑपरेशन में कई बार जटिलताएं आ सकती हैं, जिससे महिलाओं को जूझना पड़ता है. इसके विपरीत पुरूष नसबंदी ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित, सरल और प्रभावी है और इससे पुरुषों को कोई परेशानी नहीं होती है. इस पखवाड़े के दौरान, पुरुषों को परिवार नियोजन के इस स्थायी और सुरक्षित तरीके के बारे में जागरूक करने के लिए जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

नाबालिग अपहृता की दस्तयाबी में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता

9 सौ किमी दूर से नाबालिग को बरामद किया

नवभारत न्यूज

छापीहेड़ा 24 नवंबर, सं. थाना छापीहेड़ा पुलिस टीम ने नाबालिग अपहृता को 900 किलोमीटर दूर जिला बीकानेर (राजस्थान) से न्यायालयीन निर्देशों व प्रोटोकॉल के पूर्ण पालन के साथ सुरक्षित दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

घटना बीते 3 नवंबर की है. फरियादी द्वारा थाना छापीहेड़ा में रिपोर्ट की गई कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है. किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका व्यक्त की गई. रिपोर्ट पर थाना छापीहेड़ा में प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई. पुलिस अधीक्षक राजगढ़ द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग की शीघ्र दस्तयाबी हेतु टीम गठित कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए. पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज एवं अंतरराज्यीय समन्वय का उपयोग करते हुए बालिका की तलाश शुरू की. गत 19 नवंबर को पुलिस टीम थाना छापीहेड़ा से जिला सीकर (राजस्थान) एवं तत्पश्चात जिला बीकानेर पहुंची. थाना बीकानेर एवं अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बीकानेर के सहयोग से संदेही की गतिविधियों का पता लगाया गया. इसके आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी अरविंद सेन पिता लक्ष्मीनारायण सेन निवासी ग्राम आवनपुर, थाना राजगढ़ को बीकानेर जिले के ग्राम करणीसर के जंगल क्षेत्र से पकड़ा तथा उसके कब्जे से नाबालिग को सुरक्षित दस्तयाब किया गया. कानूनी कार्यवाही में नाबालिग बालिका के कथन न्यायालयीन प्रावधानों एवं संरक्षण प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लिये गए. कथनों के आधार पर प्रकरण में निम्न धाराओं का इजाफा किया गया. थाना छापीहेड़ा टीम में संगीता शर्मा थाना प्रभारी, उनि जगदीश गोयल, रामसेवक जादौन, साहब सिंह, विवेक पाटिल, इंद्रपाल, सुदामा किरार, चारु शर्मा सहित साइबर सेल से शशांक, कुलदीप कुंभकार, पवन कुमार शामिल रहे. वहीं थाना बीकानेर से सुरेश कुमार सहित अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बीकानेर की ओर से मुस्ताक खान, कंचन मकानी का सहयोग रहा.

हेलमेट अनिवार्य उल्लंघन पर होगी चालानी कार्रवाई

राजगढ़ 24 नवम्बर, का. सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों तथा पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके आभाव में चालानी कार्यवाहीं की जायेगी. अपर कलेक्टर द्वारा कार्यालय के सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित किया गया है कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें. यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाया जाता है, तो पुलिस विभाग द्वारा उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी.

एसआईआर : बीएलओ एवं सहयोगी सम्मानित

एसडीएम अंकिता जैन द्वारा फूल माला प्रशस्ति पत्र पहनाकर सम्मानित किया

नवभारत न्यूज

जीरापुर 24 नवंबर, सं. एसआईआर में सबसे ज्यादा ईएफ डिजिटाइजेशन बीएलओ एप्प के माध्यम से 4 दिसम्बर से पहले 22 नवंबर को 95 प्रतिशत सबसे अधिक कार्य किए जाने पर सम्मानित किया गया.

उल्लेखनीय है कि विधानसभा 163 खिलचीपुर अंतर्गत मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है जिसमें बीएलओ पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायक द्वारा घर घर जाकर गणना पत्रक फॉर्म कलेक्ट करने का कार्य किया जा रहा है.

अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अंकिता जैन ने बताया कि ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन समयावधि में कर.

इस दौरान मतदान केंद्र क्रमांक 10 गोघटपुर बीएलओ मोहनलाल, मतदान केंद्र 22 आदमपुरा कमलसिंह सरावत, मतदान केंद्र 41 पुरसिंह दांगी मतदान केंद्र 97 हरीगढ़ चन्दनदास वैरागी, मतदान केंद्र 147 देवकरण शर्मा , मतदान केंद्र 177 केशरपुरा बने सिंह वर्मा, मतदान केंद्र 182 सादलपुर सुरेश कुमार दांगी, मतदान केंद्र 223 डिगल्याखेड़ी भगवान सिंह एवं उनके सहयोगियों को फुल माला एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

शीघ्र भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा करें

राज्यमंत्री टेटवाल ने किया एसआईआर फार्म जमा

नवभारत न्यूज

सारंगपुर 24 नवम्बर, सं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत सोमवार को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल ने अपने सेवा सदन कार्यालय में एसआईआर फार्म भरकर जमा किया.

इस दौरान वार्ड क्रमांक 04 के मतदान केंद्र क्रमांक 84 पर बीएलओ श्री राशिद खा मेव द्वारा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) टेटवाल का घरना पत्रक भरवाया गया. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री टेटवाल ने कहा कि पारदर्शी मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव होती है. सभी नागरिकों को सक्रियता से भाग लेकर फार्म भरना चाहिए ताकि सही और अद्यतन मतदाता सूची तैयार हो सके.

उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जहां-जहां फार्म वितरित किए गए हैं, उन्हें शीघ्रता से भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कराएं.

पंचायत स्तरीय संवाद जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

ग्राम रूपापुरा और मांडाखेड़ा में हुआ आयोजित

नवभारत न्यूज

राजगढ़ 24 नवम्बर, का. बाल विवाह मुक्त राजगढ़ अभियान अंतर्गत पंचायत स्तरीय संवाद जागरूकता कार्यक्रम ग्राम रूपापुरा और मांडाखेड़ा में आयोजित किया गया. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्याम बाबू खरे द्वारा बाल सगाई और बाल विवाह रोकथाम हेतु समुदाय के साथ सीधा संवाद किया गया.

ग्रामीणो को बाल विवाह मुक्त राजगढ़ बनाने की सूचना दी. बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू हो सके जिसके अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष है. बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत हानिकारक भी है.

उप संचालक पशु पालन विभाग डॉ. एम.एस. कुशवाहा द्वारा बताया गया कि बालिकाओं को विवाह से पहले पूर्ण शिक्षा देना आवश्यक है तथा सही उम्र में ही विवाह कराना चाहिए. उन्होंने ग्रामवासियों से अपनी पंचायत को बाल विवाह मुक्त मांडाखेड़ा पंचायत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया. नातरा झगड़ा प्रथा, बाल सगाई, बाल विवाह को समाज से समाप्त करें. वन स्टॉप सेंटर प्रशासक एवं अभियान की नोडल अधिकारी श्रीमति रश्मि चौहान द्वारा बताया गया कि बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सी एम हेल्पलाइन 181, बाल विवाह कंट्रोल रूम वन स्टॉप सेंटर कार्यालय में दिवस संचालित है. जिसका संपर्क नंबर 07372-254360 है.

पर्यवेक्षक खिलचीपुर सुश्री संतोष चौहान द्वारा बताया गया कि बाल विवाह एक कुप्रथा व क़ानूनन अपराध है. जिससे हमे अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है तथा शिक्षा प्रदान करके उनके भविष्य को संवारना चाहिए. जीडीपीए नीति आयोग श्री लक्ष्मण भागमल द्वारा शिक्षा का महत्व और बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सजा और जुर्माने की जानकारी दी गई.

समस्याएं ▶ **सीएम को पत्र लिखकर कुंभराज में घाटाखेड़ी के पास प्रस्तावित बांध से उठने वाली समस्याएं बताईं**

पार्वती-कालीसिंध-चंबल से चांचौड़ा क्षेत्र को जोड़ने दिग्गी ने लिखा पत्र

नवभारत न्यूज

ब्यावरा 24 नवंबर, का. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉ मोहन यादव को पार्वती-कालीसिंध-चंबल से चांचौड़ा क्षेत्र को जोड़ने के सबंध में पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंनें कुंभराज में घाटाखेड़ी के पास प्रस्तावित बांध से उठने वाली समस्याओं पर बात लिखी है.

जिसमें कहा गया है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच समझौते में कुंभराज-1 और कुंभराज-2 नाम से दो बांधों का निर्माण प्रस्तावित है जिनका जलग्रहण क्षेत्र क्रमश: 5927 वर्ग किलोमीटर और 6458 वर्ग किलोमीटर तथा जल संग्रहण क्षेत्र क्रमश: 368.88 मिलियन क्यूबिक घन मीटर और 41.60 मिलियन क्यूबिक घन मीटर है. यद्यपि बांधों का वास्तविक निर्माण स्थल तो परियोजना के विस्तृत प्रतिवेदन तैयार होने पर ही ज्ञात हो सकेगा किंतु जलसंसाधन के विभागीय अमले की गतिविधियों से यह अनुमानित है कि दो बांधों के स्थान पर इनके संयुक्त जल संग्रहण, लगभग 400 मिलियन क्यूबिक घन मीटर का एक ही बांध घाटाखेड़ी (जिला गुना) के पास बनाया जाएगा.

इस बांध का आकार और स्थान चिंता का विषय है। क्योंकि इसके निर्माण से लगभग 10 हजार हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि और अनेक सरसब्ज गांव डूब में चले जाएंगे. औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण कृषि भूमि लगातार कम

होती जा रही है. ऐसी स्थिति में इस बांध में इतनी अधिक सिंचित कृषि भूमि को डुबाना किसानों को आत्महत्या की ओर धकेलने जैसा होगा.

उन्होंने परियोजना के क्रियान्वयन के पूर्व केंद्रीय जल आयोग से प्रारंभिक प्रतिवेदन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही इस परियोजना को क्रियान्वित करने पर विचार करने की मांग की है.

ये मांगें रखीं दिग्विजय सिंह ने

1- परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय जलग्रहण क्षेत्र में जल धाराओं पर छोटे-छोटे वॉटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जाए ताकि भू-जल (ग्राउंड वाटर) रिचार्ज होता रहे तथा एक्यूफर आदि के रिसाव जल से मुख्य नदी के बहाव में भी इजाफा होता रहे। इस तरह वाटर शेड का लगभग 7000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होकर लाभान्वित हो सकता है.

2- मुख्य नदी पर एक या दो बड़े बांधों के स्थान पर तीन-चार स्वचालित द्वारों के पिक-अप वियर्स बनाए जाने चाहिए. इनके निर्माण से डूब क्षेत्र न्यूनतम होगा और लाभ यथावत रह सकेंगे. चूंकि इस परियोजना में सिंचाई नहरों के माध्यम से न की जाकर लिफ्ट के द्वारा प्रेशराइज्ड पाइप से ही की जाना प्रस्तावित है, तो बड़े बांध बनाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है.

3- प्रस्तावित बांध के केचमेंट एरिया में भी पार्वती नदी में मिलने वाले नाले व छोटी नदियों पर भी पिक-अप वियर्स के संयुक्त निर्माण पर भी विचार किया जा सकता है.

4- कुछ वर्षों से जलसंसाधन विभाग में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का केंद्रीय जल आयोग और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमोदन न लेने की परंपरा चल पड़ी है.